


इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्रा

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 जून 2023—आषाढ़ 5, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जून 2023

क्र. एफ-3-5-2020-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्री उल्लास बापट (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 26 जून 2023 से दिनांक 28 दिसम्बर 2023 तक के लिये पुनः संभागीय सतर्कता समिति, इन्दौर संभाग, इन्दौर के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.